

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० :- 227 / 2025

1. नितिन कुमार पुत्र छोटूराम } जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला
2. कमलेश पत्नी छोटूराम } हनुमानगढ़।

बनाम्

वादीगण

1. छोटू पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 14/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील भंवरलाल गौड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक केहरवाला बारानी के खाता सं० 37/91 में अंकित कुल 19.7490 है० में प्रतिवादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक केहरवाला बारानी के खाता सं० 37/91 में से प्रतिवादी छोटू का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपसहायक अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर